

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 507]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 31 अक्टूबर 2014—कार्तिक 9, शक 1936

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 31 अक्टूबर 2014

अधि. क्र. 95 एफ 1-54-2011-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 433 तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 355 तथा 356 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में विशेष आवश्यकताओं एवं आकस्मिक प्रयोजन के लिये राशि के उपयोग के नियम, 2006 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

(1) नियम 3 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“3. **आबंटित निधि के उद्देश्य.**—इस निधि का गठन, मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) द्वारा या उनके अधीन नगरीय स्थानीय निकायों को, उन्हें सौंपे गए अनिवार्य और ऐच्छिक कर्तव्यों के निर्वहन में समर्थ बनाने के उद्देश्य से किया गया है. यह विनिश्चित किया गया है कि नगरीय प्रशासन तथा विकास विभाग को शीर्षक “मूलभूत सेवाएं (वाणिज्यिक कर, राज्य वित्त आयोग तथा सड़कों का पुनर्निर्माण)” के अधीन बजट के गैर योजना शीर्ष में उपलब्ध कराई गई निधि में से 20% (बीस प्रतिशत) राशि राज्य स्तर पर रखी जाए तथा शेष राशि, विशेष आवश्यकताओं एवं आकस्मिक प्रयोजनों के लिए राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर, राज्य सरकार द्वारा किए गए विनिश्चय के अनुरूप नगरीय स्थानीय निकायों को आबंटित की जाए. इस निधि में से, जो कि राज्य स्तर पर रखी गई है, 10% (दस प्रतिशत) राशि विशेष आवश्यकताओं एवं आकस्मिक प्रयोजनों के लिए व्यय की जा सकेगी तथा वर्ष के अन्त में यदि फिर भी कोई राशि बच रहती है तो वह राज्य सरकार द्वारा नगरीय स्थानीय निकायों को आबंटित कर दी जाएगी. निधि की शेष 10% (दस प्रतिशत) राशि छोटे तथा

मध्यम शहरों की जल आपूर्ति योजनाओं को पूरा करने तथा नगरीय स्थानीय निकायों को कालोनियों के नियमितीकरण हेतु अधोसंरचना विकास के लिए अनुदान उपलब्ध कराने के लिए अपेक्षित वास्तविक लागत तथा अनुमोदित राशि के अन्तर की प्रतिपूर्ति करने के लिए राज्य सरकार के निदेशों के अनुसार व्यय की जाएगी.”;

(2) नियम 5 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“5. **बजट.**—(1) नियम 3 में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति हेतु निधि की 20% (बीस प्रतिशत) राशि आरक्षित रखी जाएगी जो कि नगरीय प्रशासन और विकास विभाग के गैर योजना बजट शीर्ष में उपलब्ध कराई गई है, जिसमें तीन उपशीर्ष यथा मूलभूत सेवाएं (वाणिज्यिक कर पर 10% अधिभार), राज्य वित्त आयोग तथा सड़कों का पुनर्निर्माण तथा मरम्मत अंतर्विष्ट हैं. इस आरक्षित निधि में से 10% (दस प्रतिशत) राशि नगरीय स्थानीय निकायों को आकस्मिक या विशेष आवश्यकताओं के प्रयोजनों के लिए आरक्षित रखी जाएगी.

(2) निधि की शेष राशि छोटे तथा मध्यम शहरों की जल आपूर्ति योजनाओं को पूरा करने तथा नगरीय स्थानीय निकायों को कालोनियों के नियमितीकरण हेतु अधोसंरचना विकास के लिए अनुदान उपलब्ध कराने के लिए अपेक्षित वास्तविक लागत तथा अनुमोदित राशि के अन्तर की प्रतिपूर्ति करने के लिए राज्य सरकार के निदेशों के अनुसार व्यय की जाएगी.”;

(3) नियम 6 में, उपनियम (1) में,—

(क) खण्ड (दो) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“(दो) एक वर्ष का कालावधि के दौरान नगर परिषद् को अधिकतम पचहत्तर लाख रुपए तथा नगरपालिका को अधिकतम एक करोड़ रुपए तथा पांच लाख तक की जनसंख्या वाले नगरपालिक नियम को अधिकतम दो करोड़ रुपए तथा पांच लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर निगमों को अधिकतम चार करोड़ रुपए की राशि दी जा सकेगी.”;

(ख) खण्ड (छह) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाए, अर्थात् :—

“(सात) राज्य स्तर पर रखी गई निधि की 20% (बीस प्रतिशत) राशि में से 10% (दस प्रतिशत) राशि आकस्मिक एवं विशेष आवश्यकताओं के लिए उपरोक्त खण्ड (एक) से (छह) तक में विनिर्दिष्ट निबंधनों और शर्तों के अधीन आबंटित की जाएगी. निधि की शेष 10% (दस प्रतिशत) राशि छोटे तथा मध्यम शहरों की जल आपूर्ति योजनाओं को पूरा करने तथा नगरीय स्थानीय निकायों को कालोनियों के नियमितीकरण हेतु अधोसंरचना विकास के लिए अनुदान उपलब्ध कराने के लिए अपेक्षित वास्तविक लागत तथा अनुमोदित राशि के अन्तर का प्रतिपूर्ति करने के लिए मेयर-इन-काउन्सिल / प्रेसीडेंट-इन-काउन्सिल द्वारा पारित संकल्प के अनुसार नगरीय स्थानीय निकाय के प्रस्ताव के आधार पर राज्य सरकार के निदेशों के अनुसार व्यय की जाएगी.”.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

के. के. कातिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 31 अक्टूबर 2014

क्र. 95 एफ 1-54-2011-अठारह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 95 एफ 1-54-11-अठारह-3, दिनांक 31 अक्टूबर 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

के. के. कातिया, उपसचिव.

Bhopal, the 31st October 2014

Not. No. 95-F-1-54-2011-XVIII-3.—In exercise of the powers conferred by Section 433 of the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) and Section 355 and 356 of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), the State Government, hereby makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Utilization of Funds for Contingent and Specific Purposes in the Urban Local Bodies Rules, 2006, namely :—

AMENDMENT

In the said rules,—

(1) for rule 3, the following rule shall be substituted, namely :—

“3. **Objects of allocated fund.**—This fund has been constituted with the objects to enable the Urban Local Bodies for discharging their mandatory and voluntary duties entrusted by or under the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) and the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), It has been decided that out of the fund provided in the non-plan head of the budget to the Urban Administration and Development Department under the Head “Basic Services (Commercial Tax State Finance Commission and Re-construction of Road)”, 20% [Twenty percent) amount of the fund shall be retained at State level and the remaining amount be allotted to the urban local bodies for contingent and Specific purposes on the recommendation of State Finance Commission in conformity with the decision taken by the State Government Out of this Fund which is retained at the State level, the 10%(ten percent) amount may be expended for continzent and specific purposes and if any amount. still remains in hand at the end of the year, then the same shall be allotted to the urban local bodies be the State Government. The remaining 10% (ten percent) amount of Fund shall be expended as per the directions of the State Government for compensating the difference of the actual cost and approved amount required for completing water supply schemes of Small and Medium Towns and to provide grant to urban local bodies for infrastructure development, for regularization the colonies.”;

(2) for rule 5, the following rule shall be substituted, namely :—

“5. **Budget.**—(1) For the fulfilment of the objects specified in rule 3, the amount of 20% (twenty percent) of the fund shall be reserved, which has been provide in the non-plan head of budget of the Urban Administration and Development Department which contains three sub-heads viz Basic services (10% surcharge on commercial tax), State Finance Commission and Reconstruction and repair or roads, Out of this reserved fund 10% (ten percent) amount shall be reserved for urban local bodies for the purpose of contingent or specific requirements.

(2) The remaining amount of fund shall be expended as per directions of the State Government for compensating the difference of the actual cost and approved amount required for completing water supply schemes of Small and Medium Towns and to provide grunt to urban local bodies for infrastructure development, for regularization of the colonies.”;

(3) In rule 6, in sub-rule (1),—

(a) for clause (ii), the following clause shall be substituted, namely :—

“(ii) The maximum amount of rupees seventy five lac for Nagar Parishad, and rupees one crore to Municipality and rupees two crore to Municipal Corporation having population upto

five lac and of rupees four crore to Municipal Corporations having population more than five lac, may be issued during the one year period.”;

(b) after clause (vi), the following clause shall be added, namely :—

“(vii) Out of the 20% (twenty percent) amount of fund kept at State level, the 10% (ten percent) amount shall be allotted for contingent and specific requirements under the terms and conditions specified in clauses (i) to (vi) above. The remaining 10% (ten percent) amount of fund shall be expended as per the directions of the State Government on the basis of the proposal of urban local body as passed by the resolution in the Mayor-in-Council / President-in-Council for compensating the difference of the actual cost and approved amount required for completing water supply schemes of Small and Medium Towns and to provide grant to urban local bodies for infrastructure development for regularization of the colonies.”.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
K. K. KATIYA, Dy. Secy.